न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 70/2022

दायर दिनांक –25.04.2022

1. धन्नाराम पुत्र मोहन उम्र 55 वर्ष जाति जांगिड निवासी चारण की ढाणी, तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

–वादी

बनाम

1. रूकमणी देवी पत्नी सरदार सिंह उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
2. मन्दिर मूर्ती सीतारामजी स्थित ग्राम परसरामपुरा जरिये कन्वीनर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ कम भूमि धारक तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री विप्लव पंडित**
वकील प्रति॰ :– **राज0 पैरो0**

दावा बाबत– घोषणार्थ,
रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.09.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि पुराने खसरा नं0 3315 रकबा 1 बीघा 1 विश्वा, खसरा नम्बर 3316 रकबा 1 बीघा 13 विश्वा पुख्ता स्थित थी, उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर बदले जाकर खसरा नम्बर 4398 रकबा 0.61 है० डाले गये जिनके भी खसरा नम्बर बदले जाकर नये खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 है० राजस्व ग्राम चारण की ढाणी डाले गये। वादी उपरोक्त खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 है० वाके ग्राम चारण की ढाणी के संबंध में उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञ्ज का श्रीमानजी की सेवामें प्रस्तुत कर रहा है जिसे आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया जा रहा है।

राजस्थान प्रान्त में पहले जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी तमाम कृषि भूमि जागीरदार के अधीन आती थी, जिसका अपना पाना होता था, जागीरदार अपनी कृषि भूमि को लगान के बदले विभिन्न लोगो से काश्त करवाते थे चूंकि विवादित भूमि को गणपत पुत्र ज्वाला खाती जागीरदार से लगान के बदले काश्त करता था इसलिए जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तो जो व्यक्ति जिस भूमि को काश्त करता था उस व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। विवादित भूमि को गणपत पुत्र ज्वाला काश्त करता था इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर खातेदारी अधिकार गणपत पुत्र ज्वाला को प्राप्त हुये। गणपत पुत्र ज्वाला [illegible] विवाह नहीं किया। गणपत पुत्र ज्वाला की सेवा सुश्रषा मोहन पुत्र छोटु करता था [illegible] पत के फौत होने पर विवादित भूमि को मोहन पुत्र छोटु काश्त कर [illegible] मोहन पुत्र छोटु के दो पुत्र सुगनाराम व वादी धन्नाराम पैदा हुये जो विवादित भूमि को [illegible] के पश्चात 1/2–1/2 [illegible] सार काश्त करने लगे सुगनाराम [illegible] रूपयों की आवश्यकता [illegible] लिए सुगनाराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर [illegible] 323, 329, 328 ग्राम चारण [illegible] में से रकबा 0.46 है० का सौदा प्रतिवादी संख्या 1 से किया। सुगनाराम को विदेश जाना था इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

सुगनाराम ने शिशराम के पक्ष में एक रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अर्टोनी भूमि खसरा नम्बर 329, 332, 323 बाबत निष्पादित की तथा खसरा नम्बर 328 का रिकॉर्ड गलत रूप से मन्दिर मूर्ती होने के कारण एक पॉवर ऑफ अर्टोनी अनरजिस्टर्ड निष्पादित, की तथा दिनांक 08.05.2008 को भूमि खसरा नम्बर 323, 332, 329 में से रकबा 0.17 है० भूमि का विकय पत्र भी निष्पादित करवा दिया जो खातेदारी में सुगनाराम के नाम दर्ज थी तथा भूमि खसरा नम्बर 328 की खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण एक लिखापढी की गई इस प्रकार खसरा नम्बर 328 में से रकबा 0.29 है० भूमि सुगनाराम ने प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये पॉवर आफ अर्टोनी जरिये लिखावट विक्रय की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा परिवार सहित आबाद है चुंकि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 है0 में रकबा 0.03 है० भूमि रास्ते की है तथा शेष रकबा 0.58 है0 में हिस्सा 1/2 रकबा 0.29 है0 वादी का है तथा रकबा 0.29 है० प्रतिवादी संख्या 1 का है इसी अनुसार काबिज काश्त है तथा हक अधिकार है इसलिए विवादित भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 है0 में रकबा 0.03 है० भूमि रास्ते की घोषित की जावें तथा रकबा 0.58 है. में 1ध्2 हिस्से का वादी को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें जिसके लिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

विवादित भूमि गणपत पुत्र ज्वाला की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। गणपत पुत्र ज्वाला विवादित भूमि परबतौर खातेदार काश्तकार काबिज था तथा वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है विवादित भूमि कभी भी मन्दिर मूर्ती की रही है ना ही मन्दिर मूर्ती का कब्जा काश्त रहा है परन्तु दौराने सैटलमेन्ट सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी नं. 2 के नाम से गलत दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है तथा अपने अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है जिसके लिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

जागीरी खालसा होने पर जागीर रिज्यूमन एण्ड पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार गणपत पुत्र ज्वाला को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जिसका अंकन भू–अभिलेख में भी है। सन् 1979–80 में नई पैमाईश आयी जिसकी कार्यवाही सन 1985 तक चली पैमाईश को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी को समाप्त करके किसी को नई खातेदारी देने आदि का अधिकार नही था लेकिन नई पैमाईश में राजस्व कर्मचारियों ने विधि विरूद्ध रूप से बिना क्षेत्राधिकार के व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के गुलाब पुत्र हुक्मा के नाम की खातेदारी विवादित भूमि के संबंध में खत्म करके प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जबकिमन्दिर मूर्ती भूमि का ना तो खातेदार था ना ही मन्दिर मूर्ती के कब्जे में विवादित भूमि रही है ना ही कभी काश्त की है ना ही उसने कभी लगान दिया है ओर जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया व जागीरी रिज्यूम हुई तब विवादित भूमि की खातेदारी स्वतः ही गणपत पुत्र ज्वाला को प्राप्त हो गयी लेकिन नई पैमाईश ने गलत रूप से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज कर दी गई जिसके लिए न तो सुनवाई का अधिकार दिया गया था ना ही कोई सुचना दी गई ओर गलत रूप से खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज कर दी गई, जबकि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 विवादित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है गलत खातेदारी होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों पर क्लाउड आ गया ओर वादी को काफी असुविधा हो रही है तथा काफी हानि हो रही है वादी ना तो अपने कब्जे व खातेदारी की भूमि का विकास कर सकता है ओर ना ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है इसलिए वादी को विवादित भूमि का [illegible] न्यायोचित है।

विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 की ख[illegible] काश्त की भूमि है। विवादित भूमि कभी भी मन्दिर मूर्ती की नही रही [illegible] सेटलमेन्ट कर्मचारियों नेविवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से बिना क्षेत्राधिकार के [illegible] संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया जिसके कारण कुछ असामाजिक तत्वो ने वादी के विरूद्ध गलत शिकायते प्रस्तुत की है तथा गलत प्रकरण दर्ज करवाये है। प्रतिवादी संख्या 3 के समु[illegible] शिकायते की गई है जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई है मौका रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट। फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विवादित भूमि पर कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का है निवास के लिए आवासीय मकानात बनाकर काबिज है तथा सिंचाई करके फसल लाटते है परन्तु राजनैतिक दबाब के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 वादी को मौके से बेदखल करना चाहता है। दिनांक 13.07.2.3. को पटवारी हल्का को मौके पर भेजकर बेदखल करने की धमकी दिलवाई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 किसी भी दृष्टि से अतिकमी नही है। विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड ही प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत बना हुआ है गलत रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 अपनी गलत कार्यवाही को अंजाम देकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने पर आमादा है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अगर वादी को नाजायज रूप से बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी रूप मेंसंभव नहीं होगी। वादी को मुकदमें बाजी में फसना होगा जिससे समय व धन की बर्बादी होगी इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि से बेदखल नहीं करें। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि शांति से काश्त करने देवें किसी प्रकार की मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से पैदा करवाये जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजकीय कर्मचारी व अधिकारी है जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है परन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध गाँव के अनर्गल व असामाजिक तत्वों ने तहसीलदार नवलगढ़ के समुख गलत खातेदारी के आधार पर शिकायते प्रस्तुत की है तथा कानूनी कार्यवाही हेतु अलग अलग स्थान पर शिकायते प्रस्तुत की है जिसके आधार पर तहसीलदार नवलगढ़ अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 वादी वप्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि की खातेदारी गलत रूप से मन्दिर मूर्ती के नाम होने के आधार पर बेदखल करना चाहता है प्रतिवादी संख्या 3 ने मौके पर पटवारी हल्का को भी भेजा है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें स्वयं ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का आवासीय मकानात बनाकर काबिज होने तथा काश्त करने का तथ्य दर्ज किया है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 राजनैतिक दबाब के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को तुरन्त प्रभाव से बेदखली की कार्यवाही को अंजाम देने को अग्रसर है दिनांक 12.07.22 को प्रतिवादी संख्या 3 ने पटवारी हल्का को पुनः भेजकर बेदखल करने की धमकी दिलवाई है जिससे वादी के अधिकारो पर कुठाराघात हो गया है वादी का वाद अर्जेन्ट नेचर का है वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है अगर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दो माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वादी का वाद प्रस्तुत करना ही बेकार हो जायेगा इसलिए वादी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें जिसके लिए पृथक से अं. धारा80(2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति ली जाकर उक्त वाद प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद पत्र के माध्यम से वादी ने स्वंयं के नाम तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी अधिकारो की डिमाण्ड की है प्रतिवादी संख्या 1 वादी के साथ है परन्तु वरवक्त प्रस्तुत करने वाद [illegible] के हस्ताक्षर करवाया जाना संभव नहीं होने के कारण बतौर प्रफोर्मा प्रतिवादी प [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद के लिए वादा [illegible] के रोज, वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक [illegible]/07/22 को पटवारी हल्का को मौके पर भेजकर विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दिलवाने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ वैसे वादी का वाद घोषणार्थ व [illegible] र्ड दुरूस्ती का है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार घोषणार्थ के वाद के लिए कोई मियाद तैय नही है इस प्रकार के वाद के लिए वाद कारण हमेशा हर पल पैदा होता रहता है एक खातेदार को खातेदारी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

अधिकारो के लिए वाद कारण हमेशा पैदायह कि विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए श्रीमान को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र डुप्लीकेट कोपी सहित पेश कर निवेदन है कि– वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम चारण की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 है0 में से रकबा 0.03 है० रास्ते की घोषित की जावें शेष रकबा 0.58 है0 में 1/2 हिस्से का वादी को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 स्वयं उप0 होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवदीगण बावजूद तामिल अनु0 रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम की गई। तद्पश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में धन्नाराम तथा रूकमणी ने उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से शहादत पेश नही करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदीयां, नकल मिलान क्षैत्रफल तथा नकल गिरदावरी आदि दस्तावेजात् पेश किये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील वादी सुनी गई। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 328 रकबा 0.61 है0 में से रकबा 0.03 है० रास्ते की घोषित की जावें शेष रकबा 0.58 है0 में 1/2 हिस्से का वादी को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का खातेदार मंदिर मूर्ति सीतारामजी के दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादी ने राजस्व रिकॉर्ड के गलत अंकन होने के तथ्य के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नही किया है। मूर्ति को शाश्वत अवयस्क मानने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1) (अ) की निर्योगिताएँ लागू होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होने व अतिचारी होने से वाद वादी काबिल खारिज होने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मंदिर श्री सीताराम जी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जो की पूर्व से ही सही रूप से दर्ज चला आ रहा है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित प्रतीत नही होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:41 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 139/2023 **(धन्नाराम बनाम रूकमणी आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.09.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.09.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:27:41 IST
Reason: SelfAttested